न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 57/2025

1. धनपतराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।

\- **सायल**

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
2. सब रजिस्ट्रार भादरा / डूंगराना।

\- **गैरसायल**

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द्र शर्मा- सायल

वकील श्री नन्दूसिंह गौदारा - गैरसायल

निर्णय **दिनांक :** 24.03.26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 181/32 के खसरा संख्या 119 की 4.868 है0, खसरा संख्या 242 की 1.189 है0, खसरा संख्या 244 की 4.679 है0, खसरा संख्या 269 की 0.734 है0, खसरा संख्या 286 की 7.727 है0, खसरा संख्या 72/1 की 0.898 है0 कुल खसरे 6 की कुल 20.0950 है0 बारानी वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वादभूमि में से सायल का भाई बनवारी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है जो आदतन नशेड़ी है जिसे अपने भले बुरे का ज्ञान नही है। वह कुंवारा 60 वर्षीय व्यक्ति है उसे नशा देकर व उसकी विक्षिप्त मानसिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर उसके जमाबंदी में दर्ज 1/27 हिस्सा भूमि में से 0.253 है0 भूमि बिना प्रतिफल के एक नूमायशी बैयनामा धोखाधड़ी पूर्वक दिनांक 06.03.2025 को गैरसायल संख्या 1 ने अपने पक्ष में निस्पादित करवा लिया। वादभूमि संयुक्त खाता की भूमि में खसरा संख्या 242 की भूमि जो गांव की आबादी से चिपती है अधिक कीमती भूमि उसमें से 1 किला का कब्जा प्राप्त करना बैयनामा में लिखवा लिया जबकि खसरा संख्या का कुल हिस्सा 1.189 है0 है उसमें बनवारी के 1/27 हिस्सा में केवल 3 बिस्वा जमीन आती है। इस प्रकार बैयनामा दिनांक 06.03.2025 कतई गैर कानूनी ढ़ग से व धोखाधड़ी पूर्वक निस्पादित दस्तावेज है तथा गैरसायल संख्या 1 सायल के परिवार से नही है व इस खाते में अजनबी व्यक्ति है। गैरसायल संख्या 1 उक्त बैयनामा से उत्साहित होकर बिना विभाजन के खसरा संख्या 242 की 1 किला भूमि पर जबरदस्ती ताकत व बल के आधार पर काबिज होना चाहता है।

अत : सायल गैरसायल के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह खाता विभाजन होने से पूर्व वाद भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त गैरसायल सं0 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि सायल का भाई बनवारी किसी भी प्रकार से विक्षिप्त व नशेड़ी नही है सायल के भाई ने बनवारी ने अपनी घरू जरूरत के लिये रूपयों की आवश्यकता थी जिसके चलते बनवारी ने पूर्णतया होश हवास एवं राजीखुशी [illegible] उसको अपने पिता के समय से ही वाहमी बंटवारा में मिली हुई थी उसको स्वे[illegible]फल राशि में प्राप्त कर विक्रय पत्र तस्दीक रजिस्टर करवाया था। गैरसायल [illegible] करने से काफी अर्सा पहले ही वाहमी बंटवारा किया हुआ था तथा बनवारी के [illegible] खसरा संख्या 242 की आई भूमि को ही गैरसायल को कीमतन विक्रय किया था तथा गैरसायल को कब्जा [illegible] खसरा संख्या 242 में से ही वाहमी बंटवारा में मिली 0.253 है0 [illegible] का ही सम्भलाया था [illegible] ने अब भी वाहमी बंटवारा किया होने के चलते वाद पत्र केवल स्थाई निषेधाज्ञा का ही पेश किया है तथा बंटवारा का कोई दावा पेश नही किया है। इसलिए गैरसायल को बनवारी द्वारा विक्रय की गई खातेदारी के बारे में सायल गैरसायल के खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल सव्यय खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2026.05.12 18:31:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील सायल ने कथन किया कि सायल का भाई बनवारी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है जो आदतन नशेड़ी है जिसे अपने भले बुरे का ज्ञान नही है। वह कुंवारा 60 वर्षीय व्यक्ति है उसे नशा देकर व उसकी विक्षिप्त मानसिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर उसके जमाबंदी में दर्ज 1/27 हिस्सा भूमि में से 0.253 है0 भूमि बिना प्रतिफल के एक नूमायशी बैयनामा धोखाधड़ी पूर्वक दिनांक 06.03.2025 को गैरसायल संख्या 1 ने अपने पक्ष में निस्पादित करवा लिया। वादभूमि संयुक्त खाता की भूमि में खसरा संख्या 242 की भूमि जो गांव की आबादी से चिपती है अधिक कीमती भूमि उसमें से 1 किला का कब्जा प्राप्त करना बैयनामा में लिखवा लिया जबकि खसरा संख्या का कुल हिस्सा 1.189 है0 है उसमें बनवारी के 1/27 हिस्सा में केवल 3 बिस्वा जमीन आती है। इस प्रकार बैयनामा दिनांक 06.03.2025 कतई गैर कानूनी ढ़ग से व धोखाधड़ी पूर्वक निस्पादित दस्तावेज है तथा गैरसायल संख्या 1 सायल के परिवार से नही है व इस खाते में अजनबी व्यक्ति है। गैरसायल संख्या 1 उक्त बैयनामा से उत्साहित होकर बिना विभाजन के खसरा संख्या 242 की 1 किला भूमि पर जबरदस्ती ताकत व बल के आधार पर काबिज होना चाहता है व वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि सायल का भाई बनवारी किसी भी प्रकार से विक्षिप्त व नशेड़ी नही है सायल के भाई ने बनवारी ने अपनी घरू जरूरत के लिये रूपयों की आवश्यकता थी जिसके चलते बनवारी ने पूर्णतया होश हवास एवं राजीखुशी अपनी खातेदारी जो उसको अपने पिता के समय से ही वाहमी बंटवारा में मिली हुई थी उसको स्वेच्छा से प्रतिफल राशि में प्राप्त कर विक्रय पत्र तस्दीक रजिस्टर करवाया था। गैरसायल को बनवारी द्वारा भूमि विक्रय करने से काफी अर्सा पहले ही वाहमी बंटवारा किया हुआ था तथा बनवारी के हक हिस्सा में खसरा संख्या 242 की आई भूमि को ही गैरसायल को कीमतन विक्रय किया था तथा गैरसायल को कब्जा भी खसरा संख्या 242 में से ही वाहमी बंटवारा में मिली 0.253 है0 भूमि का ही सम्भलाया था। सायल ने अब भी वाहमी बंटवारा किया होने के चलते वाद पत्र केवल स्थाई निषेधाज्ञा का ही पेश किया है तथा बंटवारा का कोई दावा पेश नही किया है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र सायल, जवाब प्रार्थना पत्र गैरसायल, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः**–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में सायल को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा सायल को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि सायल वाद भूमि का सह खातेदार है तथा उक्त उक्त वादभूमि में प्रत्येक किला, मुरब्बा में काश्त करता है। सायल का भाई बनवारी ने गैरसायल संख्या 1 को खसरा संख्या 242 की 0.253 है0 भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.03.2025 को विक्रय कर दिया। लेकिन उक्त वादभूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा गैरसायल संख्या 1 ने अपने जबाव दरख्वास्त में वाहमी बंटवारा होने संबंधी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया है। जिसमें गैर सायल एक अजनबी केता के रूप में भूमि के विभाजन बिना किसी विशिष्ट भाग पर कब्जे में नहीं रह सकता। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र सायल के पक्ष में साबित होता है।

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो सायल को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चूंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया सायल के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही गैरसायल ने यह प्रस्तुत [illegible] कि उक्त आराजी खाता व लगान अलग अलग कायम किया हुआ है यदि गैरसायल [illegible] आराजी में सायल के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लेते है तो सायल [illegible] वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर [illegible] मामला भी सायल पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में और गैरसायल के खिलाफ साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2026.05.12 18:31:31 IST
Reason: Self Attested

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों सायल के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि सायल का उक्त वादभूमि में लगान व खाता अलग से कायम नहीं हुआ है यदि उक्त प्रकरण में सायल को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो गैर सायल द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने व सायल के हिस्से में कब्जा काश्त में दखल अंदाजी से सायल को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

सहायक कलक्टर
(... ...)भादरा

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि सायल के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित की जाती है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 181/32 के खसरा संख्या 119 की 4.868 है0, खसरा संख्या 242 की 1.189 है0, खसरा संख्या 244 की 4.679 है0, खसरा संख्या 269 की 0.734 है0, खसरा संख्या 286 की 7.727 है0, खसरा संख्या 72/1 की 0.898 है0 कुल खसरे 6 की कुल 20.0950 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है गैरसायल बारानी कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन ना करें एवं ना ही उक्त आराजी को रहन, बैय व मुन्तकिल करें।

निर्णय आज दिनांक 24.02.26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि उड़सरिया) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2026.05.12 18:31:31 IST
Reason: SelfAttested